भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 869

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तीर्थ-स्थलों का विकास

869. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के स्थलों सहित कितने तीर्थ-स्थलों को पर्यटन सूची में शामिल किया गया है;

(ख) क्या सरकार का दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में किसी तीर्थ-स्थल को विकसित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 2014 से दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के संघ राज्यक्षेत्रों में कितने तीर्थ-स्थलों का विकास हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ग): तीर्थस्थल पर्यटक गंतव्यों का विकास एवं अनुरक्षण मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय अपनी "तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन" (प्रशाद) योजना के तहत भी योजना दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राप्त उपयुक्त प्रस्तावों की प्राप्ति पर संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में तीर्थ यात्रा गंतव्यों के विकास हेतु प्रशाद योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित मापदण्ड़ों के अनुरूप प्राप्त प्रस्तावों का स्वागत करता है।

****